अवैध कब्जे व निर्माण छेड़ें नहीं और वैध निर्माणों को छोड़ेंगे नहीं

पेज एक का शेष

यहां तक कि निगम ने अपने ही पास किये हुए नक्षे व स्वीकृति रद्द कर दी। जैन बंधुओं ने गुड़गांव मंडल के तत्कालीन आयुक्त डी सुरेश के यहां अपील लगाई। यहां से नगर निगम हारने के पश्चात् पहुंचा एफ़सी (वित्तीय आयुक्त) हरियाणा के दरबार में। तत्कालीन एफ़सी अनिल कुमार ने भी जैन बंधुओं को हर लिहाज़ से सही ठहराया था। इसी के साथ-साथ विजिलेंस जांच भी चली तो उसमें भी जैन बन्धुओं को सही पाया गया।

परन्तु निगम एवं अन्य लकड़बग्घों को तसल्ली नहीं हुई तो मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट को और तो कुछ खास मिला नहीं केवल यह नुक्ता मिला कि रजिस्ट्रियां तो पहले हो गयीं और प्लॉट का विभाजन बाद में हुआ। इसी नुक्ते पर यह फ़ैसला दिया कि नगर निगम स्वतंत्र है अपनी कोई भी कार्यवाही करने को।

जिस नगर निगम ने तरह-तरह के शुल्क वसूल कर नक्शा पास किया, हाउस टैक्स लिया वही नगर निगम अब अपने ही तमाम कायदे-कानूनों को कूड़ेदान में डाल कर कुछ भी करने यानी तोड़-फ़ोड़ करने अथवा उसके एवज में किसी भी प्रकार की वसूली करने को स्वतंत्र हो गया और 15-20 लाख की लागत से अधबने भवन को तोड़ कर अपनी निरंकुशता एवं कायदे-कानूनों से ऊपर होने का परिचय दे दिया। हवा बनाने के लिए लगता है निगम आयुक्त मोहम्मद शाहीन ने इस केस का ऑडिट नहीं किया, केवल लकड़बग्घों के कहने भर से ही सारा खेल कर डाला।

(नगर निगम से संबंधित खबरें पेज आठ पर भी)

क्यों न वीरप्पन की तरह रामदेव को भी तस्कर माना जाये

पेज एक का शेष

की लकड़ी के बड़े खरीददार मौजूद हैं, शायद उन्होंने ही पतंजलि के मौजूदा सत्तासीन नेताओं के बेहतर सम्बन्धों के कारण पतंजलि को इस निर्यात के लिए राजी किया होगा और पतंजलि को भी इस निर्यात में मोटा मुनाफा कूटने का मौका दिखा होगा।

विदेश व्यापार के महानिदेशक ने पहले अधिसूचना जारी करते हुए सरकार को यह अनुमति दी थी कि वह राज्य सरकार के पास जब्त भंडार में में 8,584 टन लाल चंदन लकड़ी को लट्ठों के रूप में निर्यात कर दे। दूसरे चरण में 3,500 टन लकड़ी को नीलामी के लिए रखा गया था जिसमे 'सी' ग्रेड की सिर्फ 840 टन लकड़ी ही बिक पाई। सरकार को मात्र 178 करोड़ रूपए प्राप्त हुए। बताया जा रहा है कि इसी सी ग्रेड लकड़ी के निर्यात का बहाना बना कर उच्च किस्म की ए ओर बी ग्रेड की लकड़ी को निर्यात किया जा रहा था जिसका निर्यात प्रतिबंधित है।

जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) के सूत्र बता रहे हैं कि पतंजलि कंपनी की खेप में सुपीरियर ग्रेड की चंदन की लकड़ी होने का शक है। उन्होंने कहा उसने दोयम दर्जे की चंदन की लकड़ी एक्सपोर्ट करने की इजाजत मांगी थी। हमारे पास यह मानने की वजह है कि दोयम दर्जे की चंदन की लकड़ियों के साथ सुपीरियर क्वॉलिटी वाली लकड़ी भी एक्सपोर्ट की जा रही है। हमने जांच पूरी होने तक एक्सपोर्ट रोके रखने के लिए कहा है।

अब कोर्ट का फैसला जो भी आये वो अलग बात है लेकिन एक बात तो साबित हो गयी है कि बाबा रामदेव की पतंजलि कम्पनी जो बात बात में राष्ट्रवादी होने का दम भरती है वह मुनाफाखोरी के लालच में राष्ट्र की बहुमूल्य जैविक सम्पदा को चीन जैसे देश को निर्यात करने में जरा भी नही हिचकती। यह नंगा लालच अब पतंजलि की हकीकत बन चुका है।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. 5 ई-18 नरेन्द्र बुक सेन्टर - 9810229192
5. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
6. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
7. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
8. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207
9. सिंगला मेडिकल स्टोर, जवाहर कॉलोनी, डिस्पोजल चौक
10. आरसीएम स्टोर, बाबा बालकनाथ मंदिर वाली गली, जवाहर कालोनी, फ़रीदाबाद

डाक से मजदूर मोर्चा मंगवाने वाले पाठकों से अनुरोध

डाक द्वारा मजदूर मोर्चा प्राप्त करने वाले स्थानीय पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी प्रति प्राप्त करने के लिए अपने हॉकर से सम्पर्क करें, क्योंकि 12 फरवरी से साप्ताहिक होने के पश्चात- अखबार को डाक द्वारा भेजना संभव नहीं हो पा रहा है।

सीएम सिटी सरकारी कार्यालय में नंगा भ्रष्टाचार

मैं एक पत्रकार हूँ मुझे अपने मकान व दुकान के लिये नक्शा की आवश्यकता थी जो मैने और एक नकल के लिये आवेदन के लिये श्री रमेश कुमार तहसीलदार सेल्ज अधिकारी कस्टोडियन के पास गया । उन्होने मुझे टालते हुये कहा कि अभी टाईम नही है अगले सप्ताह आना ।

यह कि मैने एक टुल्ला मार कर कहा कि आपके आफिस के रिशीराम ने कहा है कि मिल जायेगी। इतने रिशीराम आ गया और उसने प्रार्थना पत्र के साथ मुझे 20 रु का पोस्टल आर्डर लगाने के लिये कहा ।

यह कि अगले दिन 21.2.2018 तारीख को 20 रु का पोस्टल आर्डर लगा कर दस्तावेजों की नकल के लिये आवेदन किया। लेकिन रिशीराम ने कहा कि इसका रिकार्ड पुरानी कचैहरी से ढूंढ कर लाना पडेंगा (जबकि रिकार्ड इनके अपने ही कार्यालय में मौजूद था) और मुझे बार-बार रोज चक्कर कटवाता रहा ।

यह कि मैं पुनः तहसीलदार सेल्ज कार्यालय 27.02.2018 करीब 3 बजे कार्यालय गया और रिशीराम कार्यालय कर्मचारी/अधिकारी ने एक अन्य व्यक्ति नाम ना मालूम से रजिस्टर निकलवा कर मुझसे साथ लेकर अपने किसी जानकार के पास 150/- स्वयं चालान जमा करवाया। उसने मुझसे जबरदस्ती 50 रु फालतू दिलवाये और मुझे साथ ले जाकर फोटोस्टेट करवाई जिसके पैसे मैनें स्वयं दिये। और रास्ते में मुझसे कहा कि बिना सेवा पानी के तहसीलदार साहिब नकल नही बनायेगे। मैनें कहा कि आप नकल तैयार करें मैं स्वयं साहब से बात कर लूंगा ।

यह कि एक रजिस्टर रिशीराम फोटोस्टेट की दुकान पर भूल आये थे जो उन्होने उसी नाम ना मालूम व्यक्ति से मंगवाया और फिर फोटोस्टेट नकल तैयार करके रिशीराम (Attested Examiner) अपने हस्ताक्षर करके तहसीलदार सेल्ज के लिये मात्र हस्ताक्षर के लिये पास ले गये । उसके पश्चात काफी देर तक मुझे बिठाये रखा और इसी दौरान मैं बाहर कमरे के आ गया। वहां इंतजार करने लगा। वहां कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये लोग पब्लिक कार्य करने के लिये पैसे की Demand करते है और बिना पैसे दिये कोई कार्य नही होता, बार-बार चक्कर कटवाते है। फिर मैने देखा कि रिशीराम बिना दस्तखत कराये बाहर आ गया और मुझे कहा कि आप स्वयं अन्दर चले जाओ। उसके बाद मैने तहसीलदार सेल्ज़ के पास पेश होकर हस्ताक्षर करने के लिये कहा और की प्रार्थना आदि की पर उन्होने मेरी तरफ मुहँ उठाकर भी बात नही की।

यह कि मैनें कहा कि आपके **Attested Examiner** ने **Attested** कर हस्ताक्षर करके आपके पास रख दिया है और काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। परन्तु उन्होने रकम लेने की नीयत से हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और कहा कि कल आना । फिर इसी दौरान मैने अपना मोबाईल की विडियो रिकार्डिग को ऑन कर लिया और साईन करने को कहा कि नकल **Attested** हो कर तैयार चुकी है। लेकिन बार-बार तहसीलदार ने कहा कि **Busy shedule** है और हस्ताक्षर नही किये। और फिर मुझे याद आया कि रिशीराम ने कहा था कि बिना सेवा पानी के साहिब नकल नही बनायेगे।

यह कि मैं पुनः रिशिराम के पास गया और प्रार्थना की, आप जाओ और जो सेवा पानी करानी है कर दूंगा मुझे बार-बार आना पड़ेगा इस पर रिशीराम ने अपने पास बैठे नाम ना मालूम व्यक्ति से कहा कि ले लो पैसे और कर दो काम । मैने 200 रु दिये तो उन्होने 200 रु में काम करने से मना कर दिया और कहा कि

पत्रकार प्रवीण कुमार जिन्होंने कस्टोडियम दफ्तर करनाल में चल रहा नंगा भ्रष्टाचार वीडियो रिकार्ड किया और प्रसारित भी किया। देखते हैं कब सीएम सिटी में भ्रष्टाचार के इस नंगे खेल पर कोई कार्यवाही होती है।

भीख थोड़ा मांग रहे है । परन्तु उन्होंने कहा कि 2000/- दे दो जो कि मैने फिर 100 रुपया दिया परन्तु वह न माने और रिशी राम ने कहा कि यह नक्शे का काम चण्डीगढ़ का था। नक्शा तो सौरा चण्डीगढ़ से लाना पड़ा। उसके बाद फिर और पैसे दिये जो 550/- हो गये फिर कहा कि 1000 तो पूरे कर दो । जो मैने नही दिये। उसके पश्चात रिशीराम ने उनके पास बैठा नाम न मालूम व्यक्ति को इशारा कर कहा जा जाकर दस्तखत करवा ला । और नाम ना मालूम व्यक्ति ने रिशीराम से पूछा कि साहब इतने में मान जायेगा । तो फिर वह पैसे लेकर वह तहसीलदार सेल्ज साहिब के कमरे मे चला गया ।

यह कि दबाव में पैसे देने के बाद मेरी आत्मा कचोटने लगी और सोचने लगा कि ईमानदार मुख्य मन्त्री खट्टर सरकार और प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी के होते हुये जो कि भ्र-टाचार को समाप्त करने को वचन बद्ध है और कहते है कि न खाऊँगा और न खाने दूगां, के चलते इन सरकारी आफिसरो पर कोई असर नही। तो मैने उसी दौरान निगरानी कमेटी करनाल के सदस्य श्री अशोक कुमार पार्-द को कमरे बाहर आकर मोबाईल पर सारी घटना की सूचना दी और अशोक कुमार को स्वयं तहसीलदार सेल्ज़ कस्टोडियन कार्यालय में आने को कहा।

अशोक कुमार के वहां पहुँचने से पहले रिशीराम ने तहसीलदार से हस्ताक्षर करवा कर मुझे नकल दे दिये ।

यह कि श्री अशोक कुमार निगरानी निगरानी कमेटी एवं पार्-द ने आकर तहसीलदार को शिकायत की कि यह सब आपके कार्यालय में क्या हो रहा है । कहने के बावजूद न तो तहसीलदार सेल्ज ने न रिशीराम को और न ना मालूम व्यक्ति से कोई पूछताछ की जबकि वह दोनों उसी समय उनके कमरे में आ गये थे । क्योंकि पूछते भी कैसे क्योंकि रिशीराम का भेजा व्यक्ति ने मेरे सामने तहसीलदार को पैसे देने गया था । मामले को गम्भीरता से लेने की बजाये तहसीलदार सेल्ज रमेश कुमार, अशोक कुमार के साथ भी अभद्र व्यवहार करने पर उतर आया और उन्हे कहा कि जा जो तूने करना है कर ले ।

यह कि जब सभी दस्तावेज तैयार थे तो तहसीलदार ने जानबूझकर हस्ताक्षर नही किये क्योकि वह पैसे मिलने के इशारे की इन्तजार कर रहे थे, और पैसे मिलने के बाद ही तहसीलदार सेल्ज़ अधिकारी ने हस्ताक्षर किये ।

यह कि उसके पश्चात इस घटना की विडियो ग्राफी के साथ मैं एस डी एम महोदय से मिला तो उन्होने मुझे लिखित में शिकायत देने के लिये कहा । एस डी एम महोदय ने मेरे ओर अशोक के सामने तहसीलदार सेल्ज से फोन मिला कर पूछताछ भी की थी

आपसे निवेदन है कि भ्र-टाचार व अन्य धाराओं के अर्न्तगत कानूनी कारवाई की जाये ।

प्रति :- विडियो सीडी साथ संलगन है

आज के हिन्दुस्तान के राजनीतिक हालात को समझने के लिए यह कार्टून काफी मौजूं है

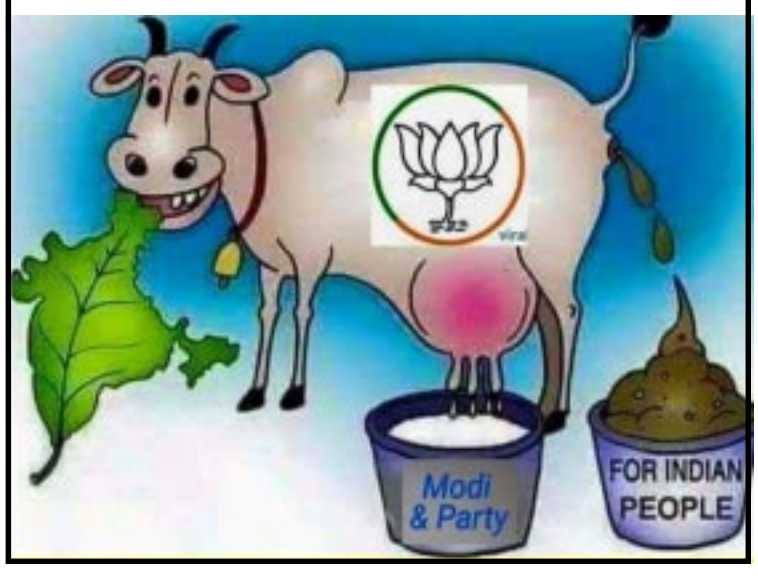

शातिर संघी अनुराग गुप्ता (मेरठ) से मिलिये

ये मेरठ के RSS कार्यक्रम राष्ट्रोदय में शरीक हैं और वही कर रहे हैं जो इस संगठन में सीखे हैं । नीचे संलग्न चित्र इनकी वाल चाल चरित्र चेहरे के हैं । वहीं से इन्होंने नीरव मोदी का एक फ़र्ज़ी चेक (फोटोशाप) जिसमें नब्बे करोड़ की राशि दर्ज है, जारी किया । इसमें यह राशि कांग्रेस को दी गई बताई गई!

संघी हैं, अक्ल से पैदल होना तय है तो 90 करोड़ का चेक बियरर काट दिये। पकड़े गये, खाते के नंबर की गूगल जाँच में पाया गया कि खाता नं तक जाली है, वह नीरव मोदी का न होकर किसी अन्य कृष्णबीर थापा, नार्थ लखीमपुर का है !

- शीतल सिंह